निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 46) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–04/2013/1906—श्री सूर्यदेव पाण्डेय, (आई0 डी0–3436) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–71 दिनांक 16.01.2014 द्वारा निम्नांकित प्रथम दृष्टिया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गईः–

(1) आपके सहायक अभियंता के पद पर सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के पत्रांक–241 दिनांक 23.05.2012 द्वारा मलई बराज के डूब क्षेत्र दायॉ सम्पर्क नहर, बायॉ सम्पर्क नहर तथा विभिन्न संरचनाओं का सर्वेक्षण करने का निर्देश आपको दिया गया था। निर्देश के बावजूद आपके द्वारा सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया। पुनः कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–427 दिनांक 10.09.2012 द्वारा दायॉ एवं बायॉ पहुॅच पथ तथा बायॉ पहुॅच पथ पर एक पथीय सेतु का सर्वेक्षण कर प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। अनेक स्मार के बावजूद भी आपके द्वारा निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के पत्रांक–496 दिनांक 03.10.2012 द्वारा डूब क्षेत्र का भू–अर्जन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया परन्तु विभिन्न स्मार के बावजूद भी आपके द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

(2) सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को मलई बराज योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में शीर्ष '4701' अन्तर्गत कुल निधि रू0 142.00 लाख प्राप्त था। उक्त राशि में से रू0 137.57708 लाख ही संवेदक द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्ध व्यय हो सका। आपके द्वारा ससमय विपत्र समर्पित नहीं किए जाने कारण शेष राशि 442292.00 रूपये प्रत्यर्पण कर दिया गया जिसके लिए आप जिम्मेवार है।

(3) यति महत्वपूर्ण मलई बराज योजना के कार्यों में अभिरूचि न लेकर बिना विभागीय अनुमति के आपके द्वारा भिन्न–भिन्न प्रखण्ड कार्यालयों में कार्य करना नियम के विरूद्ध है। जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा निर्गत प्रतिनियुक्ति आदेशानुसार अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला स्तर का कार्य करने का निदेश था परन्तु आपके द्वारा मूल कार्यों में अभिरूचि न लेकर केवल प्रखण्ड के कार्यों को ही प्राथमिकता दी गई जिसके चलते मलई बराज के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अनुशासहनहीनता, कर्त्तव्य में लापरवाही, महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के लिए आपकी उदासीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है जिसके लिए आप दोषी हैं।

उक्त मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा कार्य में सम्मिलित करने की व्यवस्था लगभग सभी जिलों में है जिसके लिए श्री पाण्डेय दोषी नहीं है। प्रत्यर्पण भी मात्र 3 (तीन) प्रतिशत है। अतएव इस आरोप को क्षम्य किया जा सकता है परन्तु अनुशासनहीनता के संबंध में लिखित साक्ष्य नहीं रहने के आधार पर इसे क्षम्य नहीं किया जा सकता। उक्त मामले में दिनांक 11.06.2013 को हुई मुख्य अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंताओं द्वारा बताया गया कि बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद कतिपय सहायक अभियंताओं द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य पदाधिकारियों में भी हतोत्साह की भावना उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा हरेक कार्य/निदेश के लिए लिखित पत्र निकाला जाय और हरेक अवहेलना पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सूर्यदेव पाण्डेय (आई0डी0–3436) तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ को उनकी अनुशासनहीनता के प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सूर्यदेव पाण्डेय (आई0डी0–3436), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, बिहियॉ के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता हैः–

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 46-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in